रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937
No. 164] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/ PAUSA 30 , 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

का.आ. 187(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 31 जनवरी, 2007 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 94 (अ), दिनांक 31 जनवरी, 2007 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है ।

[फा.सं. एनएच-14013/18/2013-पीएंडएम (पार्ट)]
माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2016

S.O. 187(E).— In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 94 (E), dated the 31st January, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st January, 2007, with immediate effect.

[File. No. NH-14013/18/2013-P&M (Pt)]
MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

का.आ. 188(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“25	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.2बी, (बर्दवान किमी 0.00 से किमी 105.86 मोल्लारपुर), **सं. 2ई,** सं. 31 [किमी 447.000 से किमी 470.000 और किमी 476.150 से किमी 551.00 (डलकोला से घोषपुकुर, सिलीगुड़ी के निकट) तक खंड को छोड़कर], सं. 31ए (सीवोक – रोंगपो खंड), सं. 31सी [किमी 228.00 (सलसलाबाड़ी) से किमी 254.500 (संकोश) तक खंड को छोड़कर], सं. 31डी [(नई रारा सं. 27) (गोशपुकुर से फुलबारी से गोशाला मोड़ से मोयनागुड़ी से धूपगुड़ी से फलकाता चौपाटी से सोनापुर से सलसाबाड़ी, कुल लंबाई 154.854 किमी)], सं. 32, सं. 34 [किमी 31.00 (बारासात) से किमी 452.70 (डलकोला) तक खंड को छोड़कर], सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक खंड और पांडेश्वरा – दुअराजपुर – सूरी –रामपुरहाट – नलहाटी को जोड़ते हुए रानीगंज के निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और मोरेग्राम के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 35, सं. 55, 60ए और सं. 117 [किमी 0.557 से किमी 7.105 तक (कोना एक्सप्रेसमार्ग) और किमी 22.76 से किमी 137.68 (जोका से बक्खाली तक)], सं. 80, सं. 81, नई रारा सं. 114ए, नई रारा सं. 116बी, नई रारा सं. 131ए, नई रारा सं. 133ए, नई रारा सं. 10 [इंडो/बांगलादेश सीमा-फुलबाड़ी – सिलीगुड़ी (शिबमंदिर, मेडिकल मोड़ खंड)], नई रारा सं. 317ए, (भूटान – भारत सीमा से हासीमारा), नई रारा सं. 327बी (भारत – नेपाल सीमा पर मेची नदी से पानी टंकी मार्किट रारा 31सी पर समाप्त होने वाला), नई रारा सं. 419, नई रारा सं. 512 और नई रारा सं. 717 (मैनागुड़ी – चांगराबंधा – इंडो/बांगलादेश सीमा खंड) के उतने भाग जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं।	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार”

[फा.सं. एनएच-14013/18/2013-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार सं. का.आ. 2827 (अ), 14 अक्टूबर, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2016

S.O. 188.(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956) and in supersession to all earlier orders/Notifications relating to the entrustment of NH 31A in the State of West Bengal, the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"25	National Highways No. 2B (Burdwan 0.00 km to Mollarpur 105.86 km), **No. 2E,** No.31 [(excluding from Km.447.000 to Km.470.000 and from Km.476.150 to Km.551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No. 31A (Sevoke-Rangpo section), No.31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh)], No. 31D [(new NH No. 27)(Ghoshpukur to Fulbari to Gosala More to Moynaguri to Dhupguri to Falakata Chowpathi to Sonapur to Salsalabari, total length 154.854 km)], No.32, No.34 (excluding from Km.31.00 (Barrasat) to Km.452.70 (Dalkhola), No.60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Suiri-Rampurhat-Nalhati and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No.35, No.55, No.60A and No.117 [from Km. 0.557 to Km. 7.105 (Kona Expressway) and Km.22.76 to Km.137.68 (from Joka to Bakhali)], No.80, No.81, new National Highway No. 114 A, new National Highway No. 116B, new National Highway No. 131A, new NH No. 133A, new National Highway No. 10 [Indo/Bangladesh border-Fulbari-Siliguri (Shibmandir, Medical More) section)], new National Highway No. 317A (Bhutan-India border to Hasimara), new National Highway No. 327B (India-Nepal border at Mechi River to Panitanki Market terminating at NH 31 C), new NH No. 419, new NH No. 512 and new National Highway No. 717 (Mainaguri-Changrabandha-Indo/Bangladesh border section) as are situated within the State of West Bengal.	State Government of West Bengal".

[F. No. NH-14013/18/2013-P&M **(Pt)**]
MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2827 (E), dated the 14th October, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.